न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **87/2018** दायर दिनाँक **23.03..2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र उर्फ सन्तोषकुमार बाल्मीकि पुत्र किस्तुराराम, जाति—हरिजन, निवासी—बड़ी बेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सन्तोष पत्नी कालूराम, उम्र—25साल, जाति—मेघवाल, निवासी—छोटीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. सुनिता पत्नी शंकरलाल, उम्र—26साल, जाति—रेगर, निवासी—बड़ीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थन, 3. कालूराम पुत्र मांगीया, उम्र—65साल, जाति—हरिजन, निवासी—बड़ीबरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 4. बालादेवी पत्नी अर्जुनराम, उम्र—35साल, जाति—मेघवाल, निवासी—बड़ीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 5. रामपाल पुत्र किस्तुराराम, उम्र—80साल, जाति—हरिजन, निवासी—बड़ीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 6. मोहनराम पुत्र किस्तुराराम, उम्र—78साल, 7. मिछलादेवी पुत्र मदनलाल, उम्र—50साल, 8. दोलादेवी पुत्र मदनलाल, उम्र—45साल, समस्त,जाति—हरिजन, निवासी—बड़ीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 9. रामुराम पुत्र मालूराम, उम्र—35साल, जाति—नायक, निवासी—बेरीखुर्द, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 87/2018
दायर दिनाँक 23.03.2018, निर्णय दिनाँक 16.04.2018
रामचन्द्र उर्फ सन्तोषकुमार बाल्कीकि बनाम् सन्तोष, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री मो. शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री मो. रफिक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 व 08, 09 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.04.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण की जमीन खेत खसरा नम्बर 399 रकबा 15.09 बीघा शरहद बेरीकलाँ अवस्थित है। उक्त जमीन संयुक्त खातेदारी में है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि का निम्न मौखिक बन्टवारा हो चुका है:–

खसरा नम्बर 399 रकबा 15.09 बीघा में से 01.18 बीघा वादी के नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में है व रकबा 13.11 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के नजरीनक्शा अनुसार बन्ट में है।

वादी को दो नामों से पुकारा जाता है। खतौनी में राजचन्द्र पुत्र किस्तुरा है व बाकी समस्त कागजात् व सरकारी नौकरी में सन्तोष कुमार बाल्मीकि है।

बिनाय दावा दिनाँक 21.03.2018 को उत्पन्न हुआ है जो लगातार उत्पन्न हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि–

शरहद बेरी कलाँ में खसरा नम्बर 399 रकबा 15.09 बीघा में से रकवा 01.18 बीघा वादी के व रकबा 13.11 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के घोषित की जावे। वादी का नाम रामचन्द्र उर्फ सन्तोषकुमार बाल्मीकि किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 10 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 व 08, 09 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मो. शरीफ शेरानी व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री मो. रफिक ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उपखण्ड कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 87 / 2018
दायर दिनाँक 23.03.2018, निर्णय दिनाँक 16.04.2018
रामचन्द्र उर्फ सन्तोषकुमार बाल्कीकि बनाम् सन्तोष, वगैरा।

राजीनामा के मुताबिक, वाद अनुतोषानुसार पक्षकारान् दावा डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, नक्शा ट्रेश व जमाबन्दी खसरा नम्बर 399 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है व वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद, राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद बेरीकलाँ के निम्न खसरा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में वर्णितानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 399 रकबा 15.09 बीघा में से, रकबा 01.18 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 13.11 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. उपर्युक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम वर्तमान में दर्ज नाम "रामचन्द्र पुत्र किस्तुरा राम" के स्थान पर "रामचन्द्र उर्फ सन्तोष कुमार बाल्मीकि पुत्र किस्तुरा राम" दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 16.04.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **87/2018** दायर दिनाँक **23.03.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र उर्फ सन्तोषकुमार बाल्मीकि पुत्र किस्तुराराम, जाति–हरिजन, निवासी–बड़ी बेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सन्तोष पत्नी कालूराम, उम्र–25साल, जाति–मेघवाल, निवासी–छोटीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. सुनिता पत्नी शंकरलाल, उम्र–26साल, जाति–रेगर, निवासी–बड़ीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थन, 3. कालूराम पुत्र मांगीया, उम्र–65साल, जाति–हरिजन, निवासी–बड़ीबरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. बालादेवी पत्नी अर्जुनराम, उम्र–35साल, जाति–मेघवाल, निवासी–बड़ीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. रामपाल पुत्र किस्तुराराम, उम्र–80साल, जाति–हरिजन, निवासी–बड़ीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 6. मोहनराम पुत्र किस्तुराराम, उम्र–78साल, 7. मिछलादेवी पुत्र मदनलाल, उम्र–50साल, 8. दोलादेवी पुत्र मदनलाल, उम्र–45साल, समस्त,जाति–हरिजन, निवासी–बड़ीबेरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. रामुराम पुत्र मालूराम, उम्र–35साल, जाति–नायक, निवासी–बेरीखुर्द, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरुस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 16.04.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो. शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री मो. रफिक, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 06 व 08, 09 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर वाके शरहद बेरीकलाँ के निम्न खसरा का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर वर्तमान खातेदारी के स्थान पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में वर्णितानुसार खातेदारी घोषित की जाती है:–

1. खसरा नम्बर 399 रकबा 15.09 बीघा में से, रकबा 01.18 बीघा भूमि का वादी को स्वतन्त्र खातेदार व रकबा 13.11 बीघा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

2. उपर्युक्त खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम वर्तमान में दर्ज नाम "रामचन्द्र पुत्र किस्तुरा राम" के स्थान पर "रामचन्द्र उर्फ सन्तोष कुमार बाल्मीकि पुत्र किस्तुरा राम" दुरस्त किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.........
..........–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.04.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—87—2018/रीडर/2018/431   दिनाँक 26/7/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र उर्फ सन्तोषकुमार बाल्मीकि पुत्र किस्तुराराम, जाति—हरिजन, निवासी—बड़ी बेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. सन्तोष पत्नी कालूराम, उम्र—25साल, जाति—मेघवाल, निवासी—छोटीबेरी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner